दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 14 नवंबर, 2019 को पूर्वाह्न 11:30 बजे राज निवास, दिल्ली में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित थे:

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल
उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

श्री तरूण कपूर

सदस्य

1. श्री के. विनायक राव
   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.
2. श्री शैलेन्द्र शर्मा
   अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.
3. श्री विजेन्द्र गुप्ता, विधायक एवं
   राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में विपक्ष के नेता
4. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
5. श्री एस.के. बग्गा, विधायक
6. श्री ओ.पी. शर्मा, विधायक
7. श्री मनीष अग्रवाल
   निगम पार्षद, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
8. श्रीमती भावना मलिक
   निगम पार्षद, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

सचिव

श्री डी सरकार
आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

Scanned with CamScanner

विशेष आमंत्रित अधिकारीगण

1. श्री सत्य गोपाल
   अपर मुख्य सचिव (एल एण्ड बी), रा.रा.क्षे., दि. सरकार
2. डॉ. राजेश कुमार
   प्रधान आयुक्त (आवास, प्रधान मंत्री आवास योजना, रा.म. खेल एवं खेल)
3. श्री श्रीपाल
   प्रधान आयुक्त (कार्मिक, उद्यान एवं भूदृश्य), दि.वि.प्रा.
4. श्रीमती वर्षा जोशी
   आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम
5. श्री ज्ञानेश भारती
   आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

उप राज्यपाल सचिवालय

1. श्री विजय कुमार
   उपराज्यपाल के प्रधान सचिव
2. श्रीमती चंचल यादव
   उपराज्यपाल के विशेष सचिव

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रित अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

मद सं. 105/2019

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 09.10.2019 को राजनिवास में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

एफ.2(2) 2019/एम.सी. /डी.डी.ए

प्राधिकरण की दिनांक 09.10.2019 को आयोजित बैठक के यथा परिचालित कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद सं.106/2019

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 09.10.2019 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट

एफ.2(2)2019/एम.सी. /डी.डी.ए

Scanned with CamScanner

प्राधिकरण के सदस्यों ने दिनांक 09.10.2019 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (ए.टी.आर.) के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की:

<u>श्री विजेन्द्र गुप्ता</u>

i. स्व स्थाने पुनर्वास परियोजनाओं के लिए जे.जे. कलस्टर के सर्वेक्षण के मामले पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। यह देखा गया कि दि.वि.प्रा. और केन्द्र सरकार की भूमि पर लगभग 200 जे.जे. समूहों का सर्वेक्षण डी यू एस आई बी द्वारा बहुत थोड़े समय में किया गया। डी.यू.एस.आई.बी. पॉलिसी के प्रावधानों के अनुसार इन जे.जे.कलस्टरों का कोई भी संयुक्त सर्वेक्षण दि.वि.प्रा. को शामिल करके नहीं किया गया। इसलिए, सर्वेक्षण की प्रामाणिकता पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

इसके अतिरिक्त, दि.वि.प्रा. और केन्द्र सरकार की भूमि के मूल्य में और जे.जे. समूह के सर्वेक्षण की लागत में भारी अंतर को देखते हुए और सर्वेक्षण में लाभार्थियों की इतनी अधिक संख्या को संभव स्तर पर न्यूनतम करने के लिए यह निदेश दिया गया कि उपर्युक्त जे.जे.कलस्टर (लगभग 200) का सर्वेक्षण सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासिस(एस.पी.वाई.एम.) द्वारा उन्हीं दरों और निबंधन एवं शर्तों पर किया जाए, जिस पर डी.यू.एस.आई.बी. के लिए और दि.वि.प्रा. के 32 जे.जे.कलस्टरों के लिए उनके द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। प्राधिकरण की अगली बैठक में इसे एजेंडा के रुप में पुष्टि और जानकारी के लिए रखा जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि दि.वि.प्रा. और केन्द्र सरकार की भूमि पर शेष जे.जे.कलस्टरों का सर्वेक्षण दि.वि.प्रा. द्वारा सर्वेक्षण एजेंसी नियुक्त करने के लिए निविदा आमंत्रित करके किया जाए।

ii. दि.वि.प्रा. को स्व स्थाने पुनर्वास परियोजनाओं में तेजी लानी चाहिए। तीन परियोजनाओं के लिए 25.11.2019 तक और चार अन्य परियोजनाओं के लिए 30.11.2019 तक निविदाएं जारी की जानी चाहिए। इस समय-सीमा का पालन किया जाए।

iii. श्री सोमनाथ भारती द्वारा उठाए गए मामले पर चर्चा करते हुए श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि दि.वि.प्रा. द्वारा रा.रा.क्षे. दि. सरकार से यह पूछा जाना चाहिए कि दि.वि.प्रा. द्वारा डिसपेंसरी बनाने हेतु आबंटित की गई भूमि पर अभी तक डिसपेंसरी का निर्माण क्यों नहीं किया गया है। ऐसे आबंटनों की सूची भी प्रस्तुत की जाए।

<u>श्री ओ.पी.शर्मा</u>

i. उनके निर्वाचन क्षेत्र में रामलीला का आयोजन करने के लिए आबंटन की निबंधन और शर्तों के उल्लंघन के लिए स्कूल के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए।

ii. भूमि को शुरुआत में सामुदायिक भवन एवं क्लब हेतु ग्रेट गेट्सबी क्लब को आबंटित किया गया था, जिसे सुधार विलेख में केवल क्लब हेतु संशोधित किया गया था। यद्यपि कानूनी रुप से क्लब के लिए एक निजी निकाय को भूमि आवंटित नहीं की जा सकती। श्री

Scanned with CamScanner

ओ.पी.शर्मा ने दिनांक 12.05.2001 की बैठक के दौरान शहरी विकास एवं गरीबी उन्नमूलन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एच-11016/24/2000-डीडीवीए दिनांक 12.05.2001 की एक प्रति भी सौंपी, जिसमें क्लबों के लिए दि.वि.प्रा. की भूमि के आवंटन हेतु दिशानिर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार केवल कॉलोनी के निवासी अथवा कॉलोनी के प्लाटों/भवनों के स्वामी ही क्लब के सदस्य हो सकते हैं। क्लब के पदाधिकारी दो वर्ष से अधिक समय तक अपने पद पर नहीं रह सकते। भूमि के आवंटन हेतु अनुरोध भारत सरकार के किसी मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया जाना होता है। क्लब को कोई शराब का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और इसमें किसी शादी की पार्टी नहीं होगी। एक सप्ताह में बिना बैण्ड और संगीत के केवल एक शादी के रिसेप्शन को अनुमति दी जाएगी। शादी का रिसेप्शन केवल सदस्यों उनके बच्चों और पोते-पोतियों के लिए किया जा सकता है, उनके रिश्तेदार अथवा दोस्तों के लिए नहीं किया जा सकता है। श्री ओ.पी.शर्मा ने इच्छा व्यक्त की कि ग्रेट गेट्सबी क्लब के संबंध में क्लब हेतु दि.वि.प्रा. की भूमि के आवंटन के लिए उपर्युक्त दिशानिर्देशों संबंधी विवरण उन्हें उपलब्ध करवाये जाएं और भूमि के आबंटन की निबंधन और शर्तों के उल्लंघन हेतु कार्रवाई की जाए।

iii. दि.वि.प्रा. द्वारा विश्वास नगर और शांति स्वरूप भटनागर मार्ग पर 60 फुट चौड़ी सड़क के मार्गाधिकार में अनधिकृत संरचना निर्माण को हटाए जाने के कार्य में तेजी लानी चाहिए।

<u>श्री सोमनाथ भारती</u>

i. दि.वि.प्रा. द्वारा मोहल्ला क्लिीनिक के लिए भूमि के अस्थाई आवंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना चाहिए क्योंकि ये डिस्पेंसरी के समान ही जनोपयोगी सेवाएं हैं, जो मुख्य योजना के अनुसार अनुमत्य है।

यह निर्णय लिया गया कि दि.वि.प्रा. मुख्य योजना के प्रावधानों के अनुसार अनुरोध की जांच करे; इस उद्देश्य हेतु पहले से आवंटित भूमि की स्थिति का पता लगाए और ऐसे भूखंडों को वापस ले जिनका उपयोग नहीं किया गया है।

ii. यह गलत उल्लेख किया गया है कि गुर्जर डेयरी में सामुदायिक भवन की मरम्मत का कार्य शुरु कर दिया गया है।

iii. हालांकि, यह पहले तय कर लिया गया था कि दि.वि.प्रा. गुलमोहर पार्क में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण करेगा, अब यह उल्लेख किया गया है कि भूमि दक्षिण दिल्ली नगर निगम को आवंटित की गई है। दि.वि.प्रा. मामले की पुनः जांच करे।

iv. दि.वि.प्रा. को खसरा सं. 277, हौज खास के संबंध में स्टे ऑर्डर को रद्द करने में तेजी लानी चाहिए।

v. डी.एम.आर.सी., आबंटन की निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुए व्यावसायिक उद्देश्य हेतु कुम्हार बस्ती में भूमि का उपयोग कर रहा है।

vi. दि.वि.प्रा. को बेगमपुर में डी एम आर सी को आबंटित की गई भूमि को वापस लेने के कार्य में तेजी लानी चाहिए।

Scanned with CamScanner

श्री मनीष अग्रवाल

i. मोहल्ला क्लिनिक हेतु भूमि के अस्थाई आबंटन पर श्री सोमनाथ भारती द्वारा उठाए गए मामले पर श्री मनीष अग्रवाल ने सुझाव दिया कि ऐसे प्लाटों को दि.वि.प्रा. द्वारा वापस ले लिया जाए जिनका उपयोग उस उद्देश्य हेतु नहीं किया गया है।

मद सं.107/2019

दि.वि.प्रा. के खाली पड़े प्लाट सं.-11 उपयोग परिसर का अस्पताल से सरकारी कार्यालयों में परिवर्तन के संबंध में और तीन प्लॉटों के उप विभाजन के संबंध में कांस्ट्रेट एरिया, वसंत कुंज के अन्दर सांस्थानिक प्लाटों के ले-आउट प्लान में प्रस्तावित आंशिक संशोधन के लिए दिल्ली मुख्य योजना-2021 के उप-खण्ड8(2) के अंतर्गत प्राधिकरण की विशेष अनुमति

एफ.3(36) 2003-एम.पी.

एजेंडा मद में दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं.108/2019

ईको पार्क के विकास हेतु जोन 'ओ' में आने वाले बदरपुर थर्मल पॉवर स्टेशन (बी.टी.पी.एस.) के ऐश डिस्पोजल एरिया में अवस्थित 26 हैक्टेयर (64.22 एकड़) भूमि उपयोग का विनिर्माण से मनोरंजनात्मक में प्रस्तावित परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव

एफ 3(56)/89-एम.पी./पार्ट-I

एजेंडे में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था। मामले को अंतिम अधिसूचना के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेजा जाएगा।

मद सं.109/2019

सुरक्षा संवर्ग के भर्ती नियमों में संशोधन।

एफ.1(मिस.)/06/आर आर/सिक्योरिटी/2014

एजेण्डे में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया था। मामले को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 56 के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेजा जाएगा।

मद सं.110/2019

डी.डी.ए. स्क्वॉश एण्ड बैडमिंटन स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए दि.वि.प्रा. को भुगतान की जाने वाली लंबित राशि पर ब्याज की राशि को माफ करने हेतु बैडमिंटन एसोसियशन ऑफ इंडिया (बी ए आई) का अनुरोध

एफ.2(359) एस बी एस/डी डी ए/2018-19

डीडीए स्क्वॉश और बैडमिंटन स्टेडियम में बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए दि.वि.प्रा. को भुगतान की जाने वाली लंबित राशि पर ब्याज माफी हेतु बैडमिंटन एसोसियशन ऑफ

Scanned with CamScanner

इंडिया (बी ए आई) के अनुरोध को प्राधिकरण द्वारा इस शर्त पर अनुमोदित किया गया कि इसे अन्य मामलों में राहत देने के लिए पूर्ववर्ती उदाहरण के रूप में उद्धृत न किया जाए। भविष्य में टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए बी.ए.आई. को सुविधा का आबंटन सभी लंबित देयदाओं, ब्याज घटक को छोड़कर, के चुकाने के बाद किया जाएगा।

मद सं.111/2019

मृतक कर्मचारियों अर्थात वर्क-चार्ज (नियमित)/नियमित दि.वि.प्रा. कर्मचारियों के आश्रित को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव

एफ.3(48)2019/पीबी-V/मिस./डीडीए

एजेण्डे में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि जब कभी ऐसी नियुक्ति की आवश्यकता होगी तब आउट सोर्स एजेंसी के माध्यम से सफल न हुए अभ्यर्थियों को नियमों के अनुसार संविदा आधार पर नियुक्त कर लिया जाएगा। इन अभ्यर्थियों को भावी रिक्तियों के बदले उनकी बारी आने पर नियमों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।

मद सं.112/2019

'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर ऑनलाइन रनिंग स्कीम के माध्यम से बुक किए गए फ्लैटों के संबंध समय अवधि में विस्तार (ईओटी)

एफ.12(मिस.)2018/2017/एलआईजी(एच)पार्ट-II

एजेण्डा मद में निहित सूचना को नोट कर लिया गया।

मद सं.113/2019

फ्लैटों, निर्मित शॉप और प्लॉटो के आबंटन के संबंध में दि.वि.प्रा. में लागू भू-भाटक के देरी से किए भुगतान के लिए ब्याज दर में संशोधन

एफ.5(12)2019/एओ(पी)/डीडीए

एजेण्डे में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया।

मद सं.114/2019

200 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लॉटों के समामेलन के संबंध में दिल्ली मुख्य योजना 2021 में प्रस्तावित संशोधन

एफ.20(1)2013/एमपी

एजेंण्डे में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया। अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए मामला आवासन और शहरी मंत्रालय के पास भेज दिया जाएगा।

मद सं.115/2019

पैरा 7.4 घरेलू/सेवा उद्योग से संबंधित दिल्ली मुख्य योजना-2021 का अध्याय 7 में प्रस्तावित संशोधन

एफ.20(02)2018/एमपी

Scanned with CamScanner

एजेण्डा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया। अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए मामला आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेजा जाएगा।

मद सं.116/2019

सांस्थानिक श्रेणी के प्लॉटों के लीज होल्ड से फ्री-होल्ड में निपटान की पद्धति

एफ.12(24)14/आईएल/पार्ट

एजेण्डा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया। दिल्ली विकास अधिनिमय,1957 की धारा 56 के अंतर्गत अनुमोदन हेतु मामला आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेजा जाएगा।

मद सं.117/2019

दि.वि.प्रा. भूमि पर मौजूदा पेट्रोल पम्प/गैस गोदाम को दूसरी जगह स्थापित करने/शिफ्ट करने हेतु विद्यमान नीति दिशा-निर्देशों में संशोधन

एफ.13(47)1993/सीआरसी

एजेण्डे के पैरा 3(i) में यथा प्रस्तावित संशोधन को अनुमोदित कर दिया है। दि.वि.प्रा. भूमि पर मौजूदा पेट्रोल पम्प/गैस गोदाम को दूसरी जगह स्थापित करने/शिफ्ट करने हेतु विद्यमान नीति दिशा-निर्देशों के अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उठाए गए 'अन्य बिंदु'

श्री विजेन्द्र गुप्ता

i. श्री विजेन्द्र गुप्ता ने दुकान एवं आवास प्लॉटों/स्थानीय बाजार के रूप बाद में निर्दिष्ट परिसरों/शॉप प्लॉटों के संबंध में दिनांक 17.09.2019 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक में एजेण्डा मद संख्या 92/2019 के रूप में विचार-विमर्श किए गए मुद्दों को उठाया। निम्नलिखित पर विचार-विमर्श किया गया:

क) सरकार अर्थात भूमि एवं भवन कार्यालय, दि.वि.प्रा. ने विशिष्ट पट्टा शर्तों के साथ व्यावसायिक दरों/प्रीमियम मूल्य पर शॉप प्लॉटों/दुकान एवं आवास प्लॉटों का आबंटन/नीलामी की।

ख) ले-आउट प्लान में यथा निर्धारित शॉप प्लॉटों/व्यावसायिक प्लॉटों को निजी विकास कर्ताओ द्वारा बेचा गया था।

ग) भूमि शेयर/निर्मित क्षेत्र अर्थात् कुल निर्मित क्षेत्र का 2/3 के रूप में व्यावसायिक और 1/3 के रूप में आवासीय को पारिभाषित करते हुए विशिष्ट पट्टा शर्तों के साथ दुकान एवं आवासीय प्लॉट।

घ) विनिर्दिष्ट व्यावसायिक क्षेत्रों में निर्धारित एवं व्यावसायिक दर पर बेचे गए और बाद में ऊपरी तल पर आवासीय उपयोग के लिए अनुमत शॉप प्लॉट।

उपर्युक्त सभी श्रेणी की दुकानों/दुकानों एवं आवासीय प्लॉटों को स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा./भूमि एवं भवन कार्यालय द्वारा तैयार किए गए मानक डिजाइन के

Scanned with CamScanner

अनुसार विकसित किया गया था। प्रभारों की अनुप्रोत्यता को दि.मु.यो.-2021 के अध्याय 5 के पैरा 5.6.3 में श्रेणीबृद्ध परिभाषित किया गया है, जिसमें परिवर्तन प्रभार संपत्ति की प्रकृति और पट्टा विलेख/हस्तांतरण विलेख आदि में दी गई शर्तों के अनुसार लागू हैं। परिवर्धित एफएआर प्रभार सभी श्रेणी के प्लॉटो के लिए देय होंगे।

विस्तृत परिचर्चा के बाद प्राधिकरण एजेण्डा मद संख्या 92/2019 द्वारा पैरा 5.6.3 (सी) में तथा प्रस्तावित संशोधन को छोड़ देने के लिए सहमत हुआ।

ii. दि.वि.प्रा. को मीठापुर, जैतपुर और हरी नगर कॉलोनियों को जोन-ओ से जोन-एफ में हस्तांतरण करने में तेजी लानी चाहिए अतः यह मामला एन जीटी द्वारा खारिज कर दिया गया चूंकि ये कॉलोनियाँ जोन-ओ का भाग नहीं है। श्री विजेन्द्र गुप्ता ने बैठक के दौरान इस अनुरोध के साथ एक याचिका दी कि मामले की जाँच प्राथमिकता आधार पर की जाए।

<u>श्री सोमनाथ भारती</u>

i. दि.वि.प्रा. को अपने पार्कों में झूले, ओपन बैडमिंटन कोर्ट आदि की सुविधाएँ अभी दी जानी हैं।

<u>श्री ओ.पी.शर्मा</u>

i. श्री ओ.पी.शर्मा और विजेन्द्र गुप्ता ने जनता को घरेलू उद्योग चलाने के लिए दिल्ली सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में उनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के मुद्दे को उठाया। यह उल्लेखनीय था कि प्रक्रिया के अनुसार संबंधित नगर निगम द्वारा आवेदन प्राप्त किए जाते हैं उसके बाद इन्हें उच्च शक्ति प्राप्त समिति (एचपीसी) के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए दिल्ली सरकार को अग्रेषित किया जाता है। 9 वर्कर और 11 के.वी.पॉवर लोड के साथ घरेलू उद्योगों को लगाने में सहायता के लिए मुख्य योजना में संशोधन, जिसे श्रम विभाग, डीपीसीसी और उद्योग विभाग से अनुमोदन लेने के लिए शर्तों को हटाने हेतु आगे संशोधित किया गया है करने के बावजूद अनुमति नहीं दी जा रही है क्योंकि एचपीसी की अभी तक कोई बैठक नहीं हुई हैं। जनता द्वारा सामना की गई समस्याओं को रेखांकित किया गया था और यह अनुरोध किया गया था कि एचपीसी की नियमित बैठके आयोजित करने के लिए मुख्य सचिव, दिल्ली को संदर्भ उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्या डीएमसी एक्ट के अनुसार अनुमति देने के लिए नगर निगमों द्वारा एच.पी.सी. से अनापत्ति लेने की आवश्यकता है।

ii. दि.वि.प्रा. को मीठापुर, जैतपुर और हरी नगर वार्ड को जोन-ओ से जोन-एफ को हस्तांतरित करने में तेजी लानी चाहिए क्योंकि मामला एन.जी.टी. द्वारा निपटा दिया गया हैं। श्री ओ.पी.शर्मा ने इस संबंध में बैठक के दौरान एक याचिका दी।

iii. दि.वि.प्रा. को विवाह/सामाजिक समारोहों के लिए नीलामी स्थलों और खुले स्थलों पर इनके स्थान पर तुरंत उपयोग किए जाने वाले स्टील ट्रस स्ट्रक्चरों के लिए प्रस्तावित नीति की समीक्षा करनी चाहिए जिन्हें जनता द्वारा विवाह और अन्य सामाजिक समारोह के लिए

Scanned with CamScanner